

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2024—फाल्गुन 11, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार अहिरवार पिता श्री बांके लाल अहिरवार, निवासी—म.नं. 478, लिंक रोड, जगदीश मंदिर, मैं, 6वीं बटालियन वि.स.बल में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम संतोष कुमार पिता बांके लाल रैदास दर्ज है. जबकि सभी दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार अहिरवार पिता बांके लाल अहिरवार दर्ज है.

पुराना नाम

(संतोष कुमार)

पिता—बांके लाल अहिरवार

(G-420)

नया नाम

(संतोष कुमार अहिरवार)

पिता—बांके लाल अहिरवार

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, के. एस. ओबेरॉय आत्मज स्व. श्री सरदार प्रताप सिंह ओबेरॉय, निवासी—नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड/पीपीजी विभाग स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल में नॉमिनी (बेनीफेसिरी) हेतु मेरी पत्नी का नाम मेरी गलती से त्रुटिवश श्रीमती इन्द्रजीत ओबेरॉय (Inderjit Oberoi) अंकित हो गया है. मेरी पत्नी के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरी पत्नी का नाम श्रीमती इन्दू ओबेरॉय (Indu Oberoi) है. प्रकाशन उपरांत मेरी पत्नी को श्रीमती इन्दू ओबेरॉय (Indu Oberoi) पत्नी श्री के. एस. ओबेरॉय के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए.

आवेदक

(के. एस. ओबेरॉय)

पिता—स्व. श्री सरदार प्रताप सिंह ओबेरॉय

(G-421)

जाहिर सूचना

मेसेर्स ऐ.वी.एम हाउसिंग कंपनी तर्फे साझेदार श्री विजय अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र अग्रवाल, निवासी 1, एम्पायर विलेज, प्रगति विहार कॉलोनी, इंदौर द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं माहिती अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसेर्स ऐ.वी.एम हाउसिंग कंपनी साझेदारी फर्म पंजीकृत क्रमांक 1F/29/03-04, दिनांक 29-05-2003 पंजीकृत है। पंजीयन के समय फर्म में समाहित साझेदार श्रीमती ममता गोयल पति श्री अरुण गोयल, निवासी-7, रेस कोर्स रोड, इंदौर द्वारा भागीदारी लेख दिनांक 02-07-2021 के माध्यम से दिनांक 01-04-2021 से हमारी फर्म से सेवानिवृत्त हो चुकी है तथा इसी भागीदारी लेख दिनांक 02-07-2021 के माध्यम से दिनांक 01-04-2021 से श्री देवाशीष अग्रवाल पिता-श्री विजय अग्रवाल, निवासी 1, एम्पायर विलेज, प्रगति विहार कॉलोनी, इंदौर एवं श्री दिवयांक अग्रवाल पिता श्री विजय अग्रवाल, निवासी 1, एम्पायर विलेज, प्रगति विहार कॉलोनी, इंदौर को नविन साझेदारों के रूप में साझेदारी फर्म में समाहित किया गया है एवं भागीदारी लेख दिनांक 02-07-2021 के माध्यम से दिनांक 01-04-2021 से फर्म का कार्यालय भी परिवर्तित होकर नविन पता 31/4, रुपयातन अपार्टमेंट, न्यू पलासिया, इंदौर, (मध्यप्रदेश) है तथा सप्लीमेंट्री भागीदारी लेख दिनांक 02-04-2019 के माध्यम से दिनांक 01-04-2019 से श्री विजय अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र अग्रवाल का गृहनिवास के पते में बदलाव होकर नया गृहनिवास का पता 1, एम्पायर विलेज, प्रगति विहार कॉलोनी, इंदौर है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन पश्चात फर्म निरन्तर संचालित है।

For: A.V.M. Housing Company,

(विजय अग्रवाल)

(देवाशीष अग्रवाल)

(दिवयांक अग्रवाल)

पार्टनर

(G-422)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 कि धारा 72 के तहत)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 61(1) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि साझेदारी फर्म का नाम माँ गायत्री इलेक्ट्रिकल्स एंड सप्लायर, पता-मेन बस स्टेण्ड, जरूआखेड़ा, जिला सागर 470115 कि रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए हैं:-

सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम, पता व सम्मिलित होने कि दिनांक	निकलने वाले साझेदारों के नाम, पता व साझेदारी त्यागने कि दिनांक
श्रीमती मनोषा केशरवानी निवासी 1/134, रेलवे स्टेशन मोहाल नं. 01, सदर, सागर म.प्र. 470001 सम्मिलित होने की दिनांक 26-12-2023	श्रीमती वंदना चौकसे, निवासी रेलवे स्टेशन के पास, जरूआखेड़ा, सागर म.प्र. 470115. साझेदारी त्यागने की दिनांक 26-12-2023.
	श्रीमती पूजा दुबे, निवासी मुडारा, जरूआखेड़ा, चंदामारु, सागर म.प्र. 470115. साझेदारी त्यागने कि दिनांक 26-12-2023
	श्रीमती भूपेन्द्र सिंह निवानी-कान्वेंट स्कूल के पास, सहोद्रा, खुरई, सागर म.प्र. 470115 साझेदारी त्यागने की दिनांक 26-12-2023

माँ गायत्री इलेक्ट्रिकल्स & सप्लायर,
(वंदना)

लां. नं. 09/5497 A, सागर, (म.प्र.)

(G-423)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार गौड़ आत्मज श्री परदेशी राम, निवासी क्वार्टर नंबर 42/21, स्टाफ कॉलोनी, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर है। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम विजय कुमार गौड़ दर्ज है तथा मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर दर्ज है। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विजय कुमार गौड़ संशोधित कर मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(विजय कुमार गौड़)

नया नाम

(विजय कुमार ठाकुर)

(G-424)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जय सिंह गौड़ आत्मज श्री कलंग सिंह गौड़, निवासी-क्वार्टर नंबर 42/16, स्टाफ कॉलोनी, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर है। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम जय सिंह गौड़ दर्ज है तथा मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम जय सिंह आर्मी दर्ज है। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम जय सिंह गौड़ संशोधित कर मेरा नाम जय सिंह आर्मी लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(जय सिंह गौड़)

नया नाम

(जय सिंह आर्मी)

(G-425)

नाम परिवर्तन

मैं, योगेन्द्र कुमार जैन पिता स्व.निर्मल चंद जैन मेरे अभिलेखों में मेरा सही नाम योगेन्द्र कुमार जैन अंकित है जो कि सत्य एवं सही है। जबकि मेरे शेरर सर्टिफिकेट में त्रुटिवश मेरा नाम एस. एस. योगेन्द्र कुमार, योगेन्द्र कुमार अंकित हो गया है। इसलिये मुझे भविष्य में मेरे सही नाम योगेन्द्र कुमार जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा सही नाम योगेन्द्र कुमार जैन दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(एस. एस. योगेन्द्र कुमार एवं योगेन्द्र कुमार)

नया नाम

(योगेन्द्र कुमार जैन)

(YOGENDRA KUMAR JAIN)

म. नं. 804, बड़ा फुहारा, ममता गारमेंट के सामने,
जवाहरगंज वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-426)

नाम परिवर्तन

मैं, केशव व्यास (KESHAV VYAS) पुत्र भीष्म व्यास सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का नाम कशिश व्यास (KASHISH VYAS) था। जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, केशव व्यास पुत्र भीष्म व्यास के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाऊंगा। जो मेरे आधार कार्ड एवं शासकीय, अशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम कशिश व्यास के स्थान पर केशव व्यास लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(कशिश व्यास)

नया नाम

(केशव व्यास)

पुत्र-भीष्म व्यास

हनुमान नगर, जिन्सी नाला नं. 1,
अजयपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-427)

नाम परिवर्तन

मैं, साक्षी शर्मा (SAKSHI SHARMA) पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे बचपन का बोलता नाम कु. कीर्ती शर्मा था. जो कि मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी में लिख गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे साक्षी शर्मा पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा. जो कि मेरे आधारकार्ड, तथा शैक्षणिक एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों इत्यादि में लिखा हुआ है. कु. कीर्ती शर्मा एवं साक्षी शर्मा दोनों मेरे ही नाम है. मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी में मेरा नाम कु. कीर्ती शर्मा के स्थान पर साक्षी शर्मा पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कीर्ती शर्मा)

नया नाम
(साक्षी शर्मा)

पुत्री-श्री दिनेश कुमार शर्मा,
पता-वार्ड नं. 02, बडफरा, अम्बाह,
जिला मुरैना (म.प्र.)

(G-428)

नाम परिवर्तन

मैं, किरण प्रदीप कुमार फतेहपुरिया (KIRAN PRADEEP KUMAR FATEHPURIA) पत्नी श्री प्रदीप कुमार जगन्नाथ फतेहपुरिया. सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पिताजी का नाम बी एल अग्रवाल (BL AGRAWAL) है, जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र में लिखा गया है. जबकि मेरे पिताजी का सही नाम बनवारीलाल चिरौंजीलाल अग्रवाल (BANWARILAL CHIRONGILAL AGARWAL) भी हैं. जो मेरे पासपोर्ट प्रकरण में लिखा गया है. बी एल अग्रवाल एवं बनवारीलाल चिरौंजीलाल अग्रवाल दोनों ही मेरे पिताजी के नाम हैं.

पुराना नाम
(बी एल अग्रवाल)

नया नाम
(बनवारीलाल चिरौंजीलाल अग्रवाल)

भवदीय
किरण प्रदीपकुमार फतेहपुरिया,
रंगवाला हाउस डीडवाना ओली,
सराफा, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-429)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पैपोत इन्दिरा पत्नी श्री गंगाधरण मेनन, निवासी-ए-65, सेक्टर-3, पार्क सिटी, कटारा हिल्स, मोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम पैपोत इन्दिरा है, आधार कार्ड में त्रुटिवश इन्दिरा मेनन अंकित हो गया है. भविष्य में मेरे वास्तविक नाम पैपोत इन्दिरा के नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा एवं संबोधित किया जाये.

पुराना नाम
(इन्दिरा मेनन)
(INDIRA MENON)

नया नाम
(पैपोत इन्दिरा)
(PYPOTH INDRA)

(G-430)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सीमा पठेजा पत्नी श्री पवन पठेजा, पुत्र श्री रमेश सचदेवा, निवासी-603, आर. आर. टावर ए.बी.रोड, बहोडापुर, ग्वालियर. मेरी बीमा पोलिसी में मेरा नाम जया पठेजा पत्नी श्री पवन पठेजा अंकित है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में मेरा नाम सीमा पठेजा अंकित है. अतः जया पठेजा एवं सीमा पठेजा दोनों एक ही व्यक्ति होकर मेरा ही नाम है. मेरा सही नाम सीमा पठेजा (SEEMA PATHEJA) पत्नी श्री पवन पठेजा ही पढा, लिखा व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(जया पठेजा)

(G-431)

नया नाम
(सीमा पठेजा)
पत्नी-श्री पवन पठेजा.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम रूपल मुकीम (ROOPALMOOKIM) पिता श्री विमल मुकीम था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री अक्षय गुंदेचा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम रूपल गुंदेचा (ROOPAL GUNDECHA) हो गया था, जो मेरे पूर्व आधार कार्ड पर अंकित है, किन्तु अक्षय गुंदेचा से विवाह विच्छेद उपरान्त पुनः मेरा नाम रूपल मुकीम (ROOPALMOOKIM) पिता श्री विमल मुकीम हो गया है, अतः भविष्य में मुझे रूपल मुकीम (ROOPALMOOKIM) पिता श्री विमल मुकीम के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(रूपल गुंदेचा)
(ROOPAL GUNDECHA)

(G-432)

नया नाम
(रूपल मुकीम)
(ROOPAL MOOKIM)

पिता-श्री विमल मुकीम,
पता-128, स्नेहलतागंज, देवी अहिल्या मार्ग,
इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Kanchan Sachdev here by declare that, my maiden name was Shobhana Pahuja but after my marriage, I have changed my name as Shobhana Pahuja to Kanchan Sachdev W/o. Sunil Sachdev. So from now and in future, I will be known as Kanchan Sachdev for all purpose.

Old Name
(SHOBHANA PAHUJA)

New Name
(KANCHAN SACHDEV)
88 J Scheme No. 71, Sector-A,
Sudama Nagar, Indore (M.P.).

(G-433)

CHANGE OF NAME

I, Manish Agrawal hereby declare that, in some of my documents my surname is written as Manish Singhal and in some Manish Agrawal. So now I want to change it all to only one surname as Manish Agrawal. So from now and in future I will be known as Manish Agrawal for all purpose.

Old Name
(MANISH SINGHAL)

New Name
(MANISH AGRAWAL)
Ward-03, Main Road Ojhar,
Barwani (M.P.).

(G-434)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनीता तिवारी, उम्र 38 वर्ष, पति श्री रामकन्हाई तिवारी, निवासी—ग्राम गोबरी, तहसील मैहर, जिला मैहर (सतना) है, मेरा नाम अनीता तिवारी जो कि सभी दस्तावेजों में लिखा है. जो कि सही है. यह कि मेरे पुत्र नितिन तिवारी की मार्कशीट में माता का नाम नीता वितारी लिखा है जो गलत है. उसके स्थान पर अनीता तिवारी लिखा एवं पढ़ा जावे जो सही नाम है एवं सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अनीता तिवारी पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम
(नीता तिवारी)

नया नाम
(अनीता तिवारी)
पुत्र—नितिन तिवारी.

(G-435)

CHANGE OF NAME

I, YAKOOB MOMIN here by declare that I have changed my name as YAQOOB MEMON S/o MOHAMMED ZAKARIYA so, from now and in future I will be known by my new name.

(YAQOOB MEMON)

S/o Mohammed Zakariya

Add:- 143/A, Green Park Bank,

Indore (M.P.).

(G-436)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भारत केशरी चौधरी, उम्र 43 वर्ष, निवासी—2250, दमोहनाका चेरीताल, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं सर्विस रिकार्ड एवं सभी शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हिन्दी भाषा में भारत केशरी चौधरी लिखा हुआ है. जो सही है. परन्तु अंग्रेजी में मेरा सरनेम चौधरी की स्पेलिंग Chaudhari दर्ज है जो कि गलत है जबकि सही स्पेलिंग Chaudhary है. जो कि सही है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भारत केशरी चौधरी Bharat Keshri Choudhary लिखा एवं पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(भारत केशरी चौधरी)
(Bharat Keshri Chaudhari)

नया नाम
(भारत केशरी चौधरी)
(Bharat Keshri Choudhary)

(G-437)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नयामुदा बी पत्नी स्व. जुम्न खान, निवासी—वार्ड नंबर—11, कांछी मोहल्ला, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) मेरा वास्तविक नाम नयामुदा बी है, आधार कार्ड में त्रुटिवश नयामुदा बी अंकित हो गया है. भविष्य में मेरे वास्तविक नाम नयामुदा बी के नाम से जानी—पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में लिखा एवं संबोधित किया जाये.

पुराना नाम
(नयामुदा बी)
(NAYABUDABI)

नया नाम
(नयामुदा बी)
(NAYAMUDABI)

(G-438)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम कु. नत्थीबाई पुत्री स्व. श्री दौलतराव भुजाड़े था, राजस्व अभिलेख में कु. नत्थीबाई दर्ज है. विवाह उपरान्त मैं, श्रीमती लता गिरड़कर पत्नी श्री गजानन गिरड़कर के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ, यही परिवर्तित नाम आधार कार्ड, मार्कशीट इत्यादि दस्तावेजों में भी दर्ज है. भविष्य में समस्त लिखा-पढ़ी एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती लता गिरड़कर पत्नी श्री गजानन गिरड़कर को लिखा एवं मान्य किया जावे.

पुराना नाम

(नत्थी बाई)

पुत्री-स्व. श्री दौलतराव भुजाड़े

(G-439)

नया नाम

(लता गिरड़कर)

पत्नी-श्री गजानन गिरड़कर

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स नवीनचंद्र एंड कंपनी टंकी चौराहा, ए. बी. रोड, शाजापुर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ०७/३६/०१/१२०/२० है. दिनांक २६/०८/२०२३ को भागीदार श्रीमती दीप्ति पटेल पति श्री कौशिक पटेल का निधन होने से उनके स्थान पर उनके पुत्र रोहन पटेल पिता श्री कौशिक पटेल को भागीदार बनाया गया. दिनांक १२/०१/२०२४ को एक नए भागीदार जैमिन पटेल पिता श्री राजू कुमार पटेल को नया भागीदार बनाया गया एवं राजू कुमार पटेल पिता श्री विष्णु भाई पटेल अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से बाहर हो गये दिनांक १२/०१/२०२४ से फर्म में निम्न भागीदार फर्म का संचालन करेंगे.

मेसर्स नवीनचंद्र एंड कंपनी,

(जैमिन पटेल) पिता-श्री राजू कुमार पटेल,

(रोहन पटेल) पिता-श्री कौशिक पटेल,

पार्टनर.

(G-440)

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the constitution of the partnership firm hereto before subsisting between the undersigned and Shri D K Goyal, vide deed of partnership dated 01st April 2001 for carrying on business of all type builder and developers, in the firm name and style as M/s D. K. CONSTRUCTIONS at Bhopal has been changed. The detail of change is as under:-

- | | | |
|-------------------|----|--|
| Dated :01-04-2003 | 1. | Smt. Anita Garg, has retired from the partnership firm, |
| Dated :01-04-2008 | 1. | Smt. Sudha Goyal, has Joined As New Partner, |
| | 2. | Smt. Kavita Goyal, has joined as new partner. |
| Dated :14-01-2016 | 1. | Shri Ishu Goyal, has Joined As New Partner, |
| | 2. | Smt. Premlata Goyal, has retired from the partnership firm |
| Dated :07-01-2017 | 1. | Smt. Sudha Goyal, has Retired from The Partnership Firm, |
| | 2. | Smt. Kavita Goyal, has retired from the partnership firm. |
| Dated :16-03-2018 | 1. | Shri P D Goyal, has Retired From The Partnership Firm, |
| | 2. | Shri O P Garg, has Retired From The Partnership Firm. |
| | 3. | Shri Ishu Goyal, has retired from the partnership firm, |
| Dated :01-04-2021 | 1. | Shri Ishu Goyal, has joined as new partner. |
| Dated :01-04-2022 | 1. | Shri Om Prakash Garg, has joined as new partner. |
| | 2. | Shri Neeraj Goyal, has retired from the partnership firm. |

M/s D.K. CONSTRUCTIONS,

(D. K. GOYAL)

Partner.

Address:-D K 24, Carat, Bawaria Kalan,
Bhopal (M.P.).

(G-441)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म मेसर्स विनायक रीअलिटीज ,पता-सिंधी कॉलोनी, झुलेलाल बेकरी के सामने, उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07-33-01-0165-23 सन 2022-2023, दि 27-02-2023, जिसका दिनांक 01-02-2024 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थे.

1. श्रीमती हिमांशी वासवानी, 2. श्री जयंत बासवानी

दि. 01-02-2024 से 2 नए भागीदार श्री राजू बासवानी एवं श्री दीपक वासवानी सम्मिलित किये गए हैं. इस प्रकार दि. 01-02-2024 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार कर रहे हैं

1. श्रीमती हिमांशी वासवानी, 2. श्री राजू बासवानी,
3. श्री दीपक वासवानी

भागीदार फर्म मेसर्स विनायक रीअलिटीज में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

वास्ते-मेसर्स विनायक री अलिटीज,

(जयंत बासवानी)

भागीदार.

पता-सिंधी कॉलोनी,

झुलेलाल बेकरी के सामने, उज्जैन (म.प्र.)

(G-442)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि विवान जैन (Vivaan Jain) मेरे पुत्र का पूर्व नाम है. मेरे द्वारा अपने पुत्र के नाम में परिवर्तन कर उसका नाम हितांश जैन (Hetanshh Jain) रख दिया गया है. मेरा पुत्र भविष्य में हितांश जैन (Hetanshh Jain) के नाम से जाना व पहचाना-लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

भवदीय

(प्रवीण कुमार जैन)

निवासी-फ्लैट नं.-ए-1/301, पारस सिटी,

ई-3, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).

(G-443)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि विवाह के पूर्व मेरा नाम कांता दुल्हानोमल जसवानी है. विवाह उपरांत मुझे मनीषा वासवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वासवानी के नाम से पुकारा जाता है, उपरोक्त वर्णित नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अब भविष्य में मुझे कांता वासवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वासवानी के नाम से जाना व पहचाना जाय तथा समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम कांता वासवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वासवानी को मान्य किया जाय.

पुराना नाम

(मनीषा वासवानी)

नया नाम

(कांता वासवानी)

पत्नी-श्री अशोक कुमार वासवानी,

निवासी-29, ओम नगर, हलालपुरा, बसस्टेण्ड के पीछे,

लालघाटी, हुजूर, भोपाल.

(G-444)

नाम परिवर्तन

मैं, Gurtej Singh Dua S/o Tajinder Singh Dua यह सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम Angad Dua लिखा हुआ है, जिसे बदलकर मैंने अपना नाम Gurtej Singh Dua रख लिया है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि में लिखा हुआ है. अतः मेरे नाम को Gurtej Singh Dua S/o Tajinder Singh Dua ही पढ़ा-लिखा एवं समझा जावे.

पुराना नाम

(ANGAD SINGH DUA)

नया नाम

(GURTEJ SINGH DUA)

पता-536, Amrit Villa, Naveen Vidhya Bhawan,
Napier Town, Jabalpur (M.P.).

(G-445)

नाम परिवर्तन

मैं, नेहा गौर पत्नी श्री शैतान सिंह गौर, निवासी-खुकरिया, गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र, समग्र आईडी में उसका नाम MITANSH GOUR दर्ज है एवं आधार कार्ड पर उसका नाम AYAN GOUR दर्ज है. मेरे पुत्र को भविष्य में मितांश गौर/MITANSH GOUR से जाना-पहचाना जाये.

भवदीय,

(नेहा गौर)

पता-खुकरिया, रायसेन.

(G-446)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 16 फरवरी 2024

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 2757-रीडर-1-24.-आवेदक "धम्म" श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ मार्ग ट्रस्ट, पता-62-बी, अन्सल टाउनशिप, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

"धम्म" श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ मार्ग ट्रस्ट, पता-62-बी, अन्सल टाउनशिप, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : 25,000.

आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया.

(G-447)

घनश्याम धनगर, पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0003/बी-113/2023-24.

शाजापुर, दिनांक 8 फरवरी, 2024

(प्रारूप-चार)

[नियम-5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) (1951 का 30) और

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक श्री नरेन्द्रनाथ पाण्डेय, जिला शाजापुर के समक्ष.

जबकि श्री अरुण सिंघवी पिता श्री चितामण सिंघवी (जैन), निवासी-त्रिपोलिया बाजार, सारंगपुर, जिला राजगढ़ ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन वर्ष 2024 के दिनांक 11 मार्च, 2024 पर मेरे द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा.

अतः मैं, नरेन्द्रनाथ पाण्डेय, जिला शाजापुर के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में दिनांक 11 मार्च, 2024 को उक्त अधिनियम, की धारा 5 के उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करने की प्रस्थापना करता हूँ.

किसी आपत्तियों (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समझ उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:-

अनुसूची

लोक न्यास का नाम श्री मण्डोदा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट मण्डोदा, तहसील मोमन बडोदिया, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट "अ"

न्यास की अचल संपत्ति का विवरण

क्र.	संपत्ति का पंजीकरण क्रमांक	पंजीकरण दिनांक	भवन सरल क्रमांक	क्षेत्रफल वर्गफीट में
1.	MP389572023A11405642	25-01-2023	340/549	1750
2.	MP389572023A11405600	25-01-2023	340/550	390
3.	MP389572023A11405810	25-01-2023	341/552	785
4.	MP389572023A11405548	25-01-2023	340/551	338

परिशिष्ट "ब"

न्यास की चल संपत्ति का विवरण

कुल 11 मूर्ति पाषाण, धातु प्रतिमा-सात चक्रेश्वर देवी-एक, कुशल सूरीश्वर जी गुरुदेव-पगलिया-दो, श्री जिनदत्तसूरी मा. सा प्रतिमा-एक, शिलालेख व अन्य बर्तन सामग्री राशि 55,000/- (पचपन हजार रुपये मात्र) के लगभग.

आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-448)

नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग राऊ, इंदौर, जिला इंदौर मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 1 फरवरी 2024

फार्म-4

क्र. 1461-री.राऊ-2023.-आवेदक अंकुश पिता नरेन्द्र कुमार जैन, निवासी-1347, सेक्टर-एन, नंदन नगर, धार, रोड, इंदौर द्वारा "श्री राजेन्द्र ऋषभ फाउण्डेशन ट्रस्ट, इन्दौर (पारमार्थिक एवं धार्मिक ट्रस्ट)", पता-डिसेंट पार्क, कलारिया धार रोड, इन्दौर लोक न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, की धारा 4 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	" श्री राजेन्द्र ऋषभ फाउण्डेशन ट्रस्ट इन्दौर (पारमार्थिक एवं धार्मिक ट्रस्ट)"
पता	:	डिसेंट पार्क, कलारिया धार रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट डीड अनुसार
चल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट डीड अनुसार

आज दिनांक 31 जनवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-449)

राकेश परमार, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र जिला इंदौर मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 31 जनवरी 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 2490-रीडर-1-24.-आवेदक बाल किशन छावछरिया (बल्लु अग्रवाल) सेवार्थ ट्रस्ट, पता-45-ए, गुलमोहर कॉलेनी, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

बाल किशन छावछरिया (बल्लु अग्रवाल) सेवार्थ ट्रस्ट, पता-45-ए, गुलमोहर कॉलेनी, इन्दौर.	
अचल सम्पत्ति	: निरंक
चल सम्पत्ति	: 11,000.

आज दिनांक 31 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-450)

घनश्याम धनगर, पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बिचौली हप्सी क्षेत्र इंदौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

(फार्म-चार)

आवेदक "राजराजेश्वर सामाजिक एवं पारमार्थिक" ट्रस्ट, पता-80, अनुराधा नगर, इन्दौर तर्फे ट्रस्टी श्री मनोहरलाल यादव पिता श्री गौरीलाल यादव, पता-171, अनुराधा नगर, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"राजराजेश्वर सामाजिक एवं पारमार्थिक"
पता	:	80, अनुराधा नगर, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- हे.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 8 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-451)

कल्याणी पाण्डे, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज), इंदौर, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 2 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक "श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक ट्रस्ट इन्दौर" तर्फे कांतीलाल मुणत, कार्यालय-पता 187, विंध्याचल नगर एरोडूम रोड, इंदौर (म.प्र.) द्वारा "श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक ट्रस्ट" इन्दौर का (म.प्र.) का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक ट्रस्ट इन्दौर".
कार्यालय	:	187, विंध्याचल नगर एरोडूम रोड, इंदौर मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	9,17,825/- (अक्षरी रुपये मात्र नौ लाख सत्रह हजार आठ सौ पच्चीस मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	187, विंध्याचल नगर एयरपोर्ट रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश स्थित भूखण्ड नं. 187 जिसका राईज 30 बाय 60 फीट का तीन मंजिला भवन जिसका अनुमानित मूल्य (40,31,213/-).

आज दिनांक 02 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-452)

ओम नारायण सिंह बडकुल, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश
प्र.-क्र.-0010-बी-113(1)-2023-24 पुनासा, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं
मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री चंद्रमोहन राठौर पिता श्री नत्थूलाल राठौर, निवासी ग्राम मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खंडवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा "राठौर सकल पंच न्यास मूंदी" तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.) का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 9-02-2024 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : " राठौर सकल पंच न्यास मूंदी,
तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश.
पता : "राठौर सकल पंच न्यास मूंदी,
तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश.

अनुसूची "अ"

चल संपत्ति : नगद-3,62,526.65 रुपये बैंक खाते में नगद जमा.

अनुसूची "ब"

क्र.	अचल संपत्ति का विवरण	अचल संपत्ति का ख.नं./अन्य	संपत्ति की चतुरसीमा	संपत्ति का रकबा
1.	ग्राम मूंदी के वार्ड क्र. 6 इंदिरा गांधी वार्ड में स्थित धर्मशाला जिसका समेकित पंजी. क्र.07 है. यह धर्मशाला दो मंजिला पक्की बनी हुई है. इस भवन के पीछे एक हाल बना है तथा उस हाल के पीछे पड़ती भूमि भी न्यास की है. ने ही गली भी इस भवन में दो दुकाने हैं. जो किराये से दी गई है.	समेकित पंजी. क्र. 07	भवन- 1. पूर्व में-राठौर धर्मशाला 2. पश्चिम में-आम रास्ता 3. उत्तर में-निर्मल जैन की भूमि 4. दक्षिण में-कैलास दरबार का मकान. हाल की चतुरसीमा- 1. पूर्व में-राठौर धर्मशाला की पड़ती भूमि. 2. पश्चिम में-राठौर धर्मशाला की मुख्य भवन. 3. उत्तर में-राठौर धर्मशाला की पड़ती भूमि. 4. दक्षिण में-कैलाश दरबार का मकान.	

क्र.	अचल संपत्ति का विवरण	अचल संपत्ति का ख.नं./अन्य	संपत्ति की चतुरसीमा	संपत्ति का रकबा
			गली की चतुर्सीमा—(उत्तर—दक्षिण की ओर 19.5 फीट, पूर्व पश्चिम की ओर 78 फीट.	
			1. पूर्व में—अमीत अलोक व अन्य की कृषि भूमि.	
			2. पश्चिम में—आम रास्ता	
			3. उत्तर में—कैलाश का मकान	
			4. दक्षिण में चंद्रमोहन राठौर का मकान	
2.	ग्राम मूंदी गांधी क्षेत्र वार्ड क्र.—7 संजय गांधी वार्ड में सिति भवन जो दो मंजिला पक्का बना हुआ है. जिसका समेकित पंजी. क्र. 135 है. इसकी तल मंजिल में दुकाने हैं.		भवन की चतुर्सीमा— 1. पूर्व में—आम रास्ता 2. पश्चिम में—आम रास्ता सुतार गली 3. उत्तर में—डिग्रीलाल का मकान 4. दक्षिण में—बाबूलाल लोहार का मकान.	इसकी लंबाई पूर्व, पश्चिम में 7.62 मीटर, चौड़ाई उत्तर दक्षिण 2.85 मीटर कुल क्षेत्रफल 21.71 वर्गमीटर.
3.	मूंदी स्थित कृषि भूमि—रा. अभिलेख में यह भूमि कस्तुरखंद रतनजी एवं राठौर सकलपंच न्यास मूंदी के नाम से दर्ज किया जाना है.	ख. नं. 988	चतुर्सीमा— 1. पूर्व में—नाला बाद केशव गुजर की भूमि. 2. पश्चिम में—अशोक पन्नालाल का खेत 3. उत्तर में—आम रास्ता 4. दक्षिण में—अशोक पन्नालाल राठौर का खेत.	1.6110 है.

(G-453)

शिवम प्रजापति,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, पंजीयन लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी घट्टिया, उज्जैन मध्यप्रदेश

प्र.क्र.—0001—बी—113—2023—24

घट्टिया, दिनांक 9 फरवरी, 2024

प्रारूप—चार

[नियम—5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि प्रतिनिधि प्रबंधक —(1) श्री निभयसिंह पिता नागजी आंजना, अध्यक्ष, निवासी—115, ग्राम कमेड, मंगलनाथ मंदिर के पीछे, कालियादेह उज्जैन, (2) श्रीमती मानकुंवर आंजना पति निर्भयसिंह, उपाध्यक्ष, निवासी—115, ग्राम कमेड, मंगलनाथ मंदिर के पीछे, कालियादेह उज्जैन, (3) श्री सुरज पटेल पिता रवि पटेल, सचिव, निवासी—ग्राम कमेड, कालियादेह उज्जैन, (4) श्री अर्जुन आंजना पिता निर्भयसिंह, सहसचिव, 115, ग्राम कमेड, मंगलनाथ मंदिर के पीछे, कालियादेह उज्जैन,

(5) श्रीमती मनीषा आंजना पति अर्जुनसिंह, कोषाध्यक्ष, निवासी—36 ग्राम कमेड, मंगलनाथ मंदिर के पीछे, कालियादेह उज्जैन,
 (6) रविन्द्र आंजना पिता निर्भयसिंह आंजना, सदस्य, निवासी—36 ग्राम कमेड, मंगलनाथ मंदिर के पीछे, कालियादेह उज्जैन
 (7) श्रीमती शिवाबाई आंजना पति रविन्द्र आंजना, सदस्य, ग्राम कमेड, कालियादेह, उज्जैन, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिये किया है, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2024 के दिनांक 7 मार्च, 2024 पर मेरे द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का रजिस्ट्रार, अपने न्यायालय में दिनांक 07 मार्च, 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करती हूँ.

किसी आपत्ति (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या जो व्यक्तिगत, अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	श्री अंगारेश्वर संत गौसेवा जनकल्याण समिति
कार्यालय	:	ग्राम कमेड, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन
चल/अचल सम्पत्ति	:	निरंक

(G-454)

रंजना पाटीदार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, कन्नौद, जिला देवास मध्यप्रदेश
 क्र.—1357—प्र.वा.—2024 कन्नौद, दिनांक 19 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

- जैसा कि नारायण जोशी सचिव निवासी—163, महात्मा गांधी मार्ग सतवास तहसील सतवास जिला देवास ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 3-4-2024 को विचार किया जावेगा.
- उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम व	:	माँ नर्मदा सेवा ट्रस्ट
पता	:	माँ नर्मदा सेवा ट्रस्ट, 163, महात्मा गांधी मार्ग सतवास, तहसील सतवास, जिला देवास.
चल सम्पत्ति	:	31,000 (इकतीस हजार) नगद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

(G-455)

अभिषेक सिंह, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार डबरा, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-01-2023-24/बी-113(1)-1083.

डबरा दिनांक 24 जनवरी, 2024

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

डबरा, जिला ग्वालियर के समक्ष.

चूंकि, आवेदक श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, निवासी-ग्राम जौरासी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है. कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 फरवरी, 2024 को विचार के लिए लिया जायेगा.

अतः मैं, दिव्यांशु चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 24-1-2024 को उक्त अधिनियम, की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता : श्री बालक देव मंदिर लोक कल्याण सार्वजनिक न्यास, ग्राम जौरासी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश.

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण :-

चल सम्पत्ति : निरंक

अचल सम्पत्ति : न्यास परिसर में 60X100 वर्गफीट में बना मंदिर, चबूतरा व टीनशेड.

(G-456)

दिव्यांशु चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास मझगवां, जिला सतना, मध्यप्रदेश

मझगवां, दिनांक 12 जनवरी, 2024

प्रारूप-क्र.5

देखें नियम (1)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक मझगवां जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिये मैं, जितेन्द्र कुमार वर्मा, लोक न्यासों का पंजीयक मझगवां, जिला मेरे न्यायालय में 2023 के तीस दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे माध्यम से उपस्थित तारीख पर या तो व्यक्ति अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

“ श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम तुलसीमार्ग द्वितीय मुखारबिन्दु बल्लभानगर चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना मध्यप्रदेश”.

सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियां सम्मिलित हैं-

चल सम्पत्ति : निरंक
अचल सम्पत्ति : 12,16,000/-

(G-457)

जितेन्द्र कुमार वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक बैतूल मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 26 फरवरी, 2024

प्रारूप-क्रमांक-4

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 3(1) के द्वारा]

क्र./प्रवा./अ.वि.अ./2024/4013-लोक न्यास के पंजीयक बैतूल, जिला बैतूल के समक्ष “लशकरे हॉस्पिटल चैरिटेबल एजुकेशन प्रमोशन ट्रस्ट” बैतूल, तहसील बैतूल ने लोक (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 21-2-2024 पर विचारण हेतु मेरे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को प्रस्तुत करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा:-

अनुसूची

1. चल सम्पत्ति रुपये : 1,100/-
2. अचल सम्पत्ति रुपये : निरंक

(G-458)

अभिषेक चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2024—फाल्गुन 11, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)